रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3146] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2017/कार्तिक 23, 1939

No. 3146] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017/KARTIKA 23, 1939

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

का.आ. 3587(अ).— यत: अपनी मुख्य योजना के संशोधन के भाग के रूप में दिल्ली की मुख्य योजना-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.12.2016 के का.आ. 3646(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र,असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में निर्धारित 30 दिन की समयाविध के भीतर 3 (तीन) आपत्तियां / सुझाव प्राप्त हुए थे।

3. सभी व्यक्तियों जिन्होंने आपत्तियां / सुझाव दायर किए हैं को अपने आपत्तियों/ सुझावों को दिनांक 14.2.2017 को आयोजित जांच और सुनवाई बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया ।

4. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

5. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन :

अध्याय 5 : व्यापार और वाणिज्य **तालिका 5.4 : विकास नियंत्रण—व्यावसायिक केन्द्र**			
1.	उपयोग / उपयोग परिसर	अधिकतम तल कवरेज (%)	
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
	(क) व्यावसायिक केंद्र i. सुविधा शार्पिंग सेंटर / लोकल शार्पिंग सेंटर / स्थानीय स्तरीय व्यावसायिक क्षेत्र	40	50
	ii. सेवा बाजार	40	50
	iii. नियोजित अनौपचारिक बाजार	40	50
	iv. सामुदायिक केंद्र / अश्रृंखलाबद्ध व्यावसायिक केंद्र	25	50
	v. जिला केंद्र / उप केंद्रीय व्यवसाय जिला / उप नगर स्तरीय व्यावसायिक केंद	25	50
2	तालिका 5.4 के नीचे दिए गए नोट में निम्नलिखित अतिरिक्त नोट को (v) के बाद जोड़ा जाए : **नोट:** **(vi) (क) में (i) से (v) तक के व्यावसायिक केंद्रों के मामले में अधिकतम तल कवरेज में प्रांगण शामिल होगा।** **(vii) व्यावसायिक केंद्रों की एकीकृत स्कीमों के मामले में, व्यावसायिक केंद्रों की संबंधित शृंखला की तालिका 5.1 में यथा अनुमत कार्यकलापों के लिए प्लॉटों के एकीकरण उप-विभाजन की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित अपेक्षित प्रभारों के भुगतान की शर्त पर दी जाती है।**		

[फा. सं. के-13011/12/2017-डीडी-I]

अनिल कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2017

S.O. 3587(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its Mater Plan modification which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 3646(E) dated 06.12.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, 3 (three) objections/suggestions received with regard to the proposed modifications within the stipulated time period of thirty days.

3. All the persons who filed objections/suggestions were invited to present their objections/suggestions before the Board of Enquiry & Hearing held on 14.02.2017.

4. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

A	**Chapter 5: Trade & Commerce** **Table 5.4: Development Controls—Commercial Centres**		
	Use / Use Premises	**Maximum Ground Coverage (%)**	
		Existing Provisions	**Proposed Modification**
	a) Commercial Centres		
	i. Convenience Shopping Centre /Local Shopping Centre/ Local Level Commercial areas	40	**50**
	ii. Service Market	40	**50**
	iii. Organised Informal Bazaar.	40	**50**
	iv. Community Centre/Non-hierarchical Commercial Centre	25	**50**
	v. District Centre/Sub-Central Business District/Sub-City Level Commercial areas	25	**50**
B	In the notes under Table 5.4, the following additional notes to be added after the note at serial no.(v): ***vi) In case of Commercial Centres in a) i. to v., the maximum Ground Coverage shall be inclusive of Atrium.*** ***vii) In case of integrated schemes of Commercial Centres, amalgamation and sub-division of the plots is permitted for activities as permitted in Table 5.1 of the respective hierarchy of commercial centres subject to payment of requisite charges as notified by the Competent Authority from time to time.***		

[F. No. K-13011/12/2017-DD-I]

ANIL KUMAR, Under Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.14 19:45:27 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.